फर्द अहकाम

(नियम–26)

<u>अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)</u>

प्रार्थी

पटवारी, पटवार हल्का लूणसरा — बनाम — अप्रार्थीगण गणपत वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रा.पत्र

मुकदमा नं. 22/ 2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
23.03.2021	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी. सी. के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया ग्राम लूणसरा तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 563, 570, 574, 850, 858, 859, 884, 573 के संबंध में न्यायालय हाजा में एक वाद संख्या 79/2016 पेश किया जो आदिनांक विचाराधीन है, उक्त प्रकरण में दिनांक 08.02.2020 को स्थगन आदेश जारी किया गया। जिसका ऑनलाईन जमाबंदी में तकनिकी कारणों से अंकन तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नहीं करवाया गया। जबकि उक्त स्थगन आदेश के प्रभाव में रहते जमाबंदी में स्थगन आदेश का अंकन की जानकारी नहीं होने से भूलवश वर्तमान पटवारी हल्का लूणसरा द्वारा खातेदार जगदीश प्रसाद के फौत होने पर फौतगी नामान्तकरण संख्या 2339/31.12.2020 गलत रूप से दर्ज कर दिया तथा ग्राम पंचायत द्वारा बैठक दिनांक 06.01.2021 उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया। उक्त गलत नामान्तरकरण को शून्य घोषित किये जाने बाबत् नामान्तकरण अपील पेश है। अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 भूलवशः गलत स्वीकृत नामान्तरकरण से मुतदावियां खेताय की भूमि में दर्ज खातेदारी की आड़ में बैचान, हस्तान्तरण, करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त नामान्तकरण अपील का जब तक अन्तिम निस्तारण न हो तब राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा उक्त खेताय की भूमि का बैचान हस्तान्तरण नहीं करने बाबत् पाबंद किया जावे। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी पक्ष को होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1, 2/1 से 2/5, 3 व 4 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम–लूणसरा तहसील–जायल में खसरा नं. 563, 570, 574, 850, 858, 859, 884, 573 की भूमि के का बैचान हस्तान्तरण नहीं करे तथा ना ही किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन इत्यादि करे साथ राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 31.03.2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	
31.03.21	पत्रावली पेश, अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया जाता है। मिसल दिनांक 12.04.21 को पेश हो। [signature]	

Scanned with CamScanner

12/4/21 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
कोरोना / लॉकडाउन
पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 12/5/21 को प्रस्तुत करें।

12/5/21 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
कोरोना / लॉकडाउन
पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 21/6/21 को प्रस्तुत करें।

21/6/21 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
PO नाईट ड्यूटी
पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15/7/21 को प्रस्तुत करें।

14/7/2024: पत्रावली आज पेशी पर ली गई। प्रति प्रकरण हाजा के संबंधित नामान्तरण अपील सं. 03/24 का निस्तारण/निर्णय दिनांक 14/7/24 को हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र हाजा पोषणीय नहीं रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर नामान्तरण अपील के साथ नत्थी हो।